तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.07/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
10.10.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी चेलाराम प्रजापत पुत्र धुला जी प्रजापत, जाति– प्रजापत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सरिया देवी किराणा स्टोर, मेन बाजार, नांदिया, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री चेतन रावल उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 23.1.2023 को फर्म सरिया देवी किराणा स्टोर, मेन मार्केट, नांदिया, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता चेलाराम प्रजापत पुत्र धुला जी प्रजापत से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1990 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./149/Act/2023/192 दिनांक 11.02.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन रावल उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। बहस हेतु नियत तिथि 07.10.2024 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रतिवादी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सरिया देवी किराणा स्टोर, मेन बाजार, नांदिया में प्रतिवादी चेलाराम प्रजापत द्वारा मालिक की हैसियत से घी नोवा ब्राण्ड़ को बेचने के संबंध में न्याय निर्णयन आवेदन में पूर्णतया गलत व मिथ्या कथन अंकित किये है। फर्म सरिया देवी किराणा स्टोर का प्रतिवादी चेलाराम को गलत रुप से मालिक बनाकर प्रकरण पेश किया है। उक्त फर्म का मालिक स्वयं दुकान में बैठता है वह बेचान माल का रुपये प्राप्त करता है व हिसाब रखता है जिसके खरीद के बिल प्राप्त कर बेचान करता है, बिल संख्या जीएसटी/22–23/9594 दिनांक 16.12.2022 की छाया प्रति जवाब के साथ पेश की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित कार्यवाही प्रतिवादी अभियुक्त की उपस्थिति में व मौके पर सम्पादित नही की है। नमूना लेने की कार्यवाही में प्रतिवादी ने हस्ताक्षर बतौर मालिक नही किये गये है तथा स्वतंत्र गवाहों के भी हस्ताक्षर नही है तथा न ही प्रतिवादी को उक्त नमूनें की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जांच कराने की कोई जानकारी या सूचना दी गई हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बनावटी व मिथ्या कथन अंकित कर प्रतिवादी के विरुद्ध यह प्रकरण प्रस्तुत किया है जो खारिज किया जावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तो यह .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:08:23 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.07/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	पाया कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 23.1.2023 को समय 1.15 पी.एम. पर फर्म सरिया देवी किराणा स्टोर, मेन मार्केट, नांदिया, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये। फर्म सरिया देवी किराणा स्टोर, मेन मार्केट, नांदिया में खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी चेलाराम प्रजापत पुत्र धुला जी प्रजापत, जाति– प्रजापत उपस्थित मिलें, जो मैसर्स सरिया देवी किराणा स्टोर में खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) का आम जन को विक्रय करता है। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जन को विक्रय हेतु उपयोग में लिये जाने वाले खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता चेलाराम प्रजापत पुत्र धुलाजी प्रजापत को गवाह श्री जयदीप, मैन मार्केट, नांदिया के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म सरिया देवी किराणा स्टोर के अन्दर रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) के 30 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत राशि रुपये 1100/– (अक्षरे रुपये ग्यारह सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता चेलाराम प्रजापत पुत्र धुला जी प्रजापत को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1990, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता चेलाराम प्रजापत व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) के चारों पैक्ड बोतलों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-1990 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता चेलाराम प्रजापत व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये तथा श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता चेलाराम प्रजापत व गवाह तथा श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर .....लगातार	

न्यायालय प्रात० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:08:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला परिषद
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **F.S.S.Act Case No.07/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 25.1.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री नरेशदान, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 23.1.2023 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सरिया देवी किराणा स्टोर, मेन मार्केट, नांदिया में प्रतिवादी विक्रेता चेलाराम पुत्र धुला जी प्रजापत से खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1990 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./149/Act/2023/192 दिनांक 11.2.2023 में खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी चेलाराम प्रजापत ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है तथा इस न्यायालय में जिस बिल की छाया प्रति पेश की है उस बिल में घी (नोवा ब्राण्ड) के बैच नंबर अंकित नही है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी चेलाराम प्रजापत पुत्र धुला जी प्रजापत, जाति– प्रजापत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सरिया देवी किराणा स्टोर, मैन मार्केट, नांदिया, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी चेलाराम प्रजापत पुत्र धुला जी प्रजापत, जाति– प्रजापत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सरिया देवी किराणा स्टोर, मैन मार्केट, नांदिया, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी चेलाराम प्रजापत को आदेशित किया जाता है कि उस पर अधिरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 12.11.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:08:23 IST
Reason: SelfAttested